निर्णय बईजलास श्री हरि मोहन मीना आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड़

मि0न0 24/अपील 14(4)/21 तारिख दायरा: 16.07.2021

उनवान

मुकेश कुमार आ0 शम्भूलाल जाति लुहार नि0 सुनेल

बनाम

01. नारायण सिंह आ0 देवीसिंह राजपूत नि0 सुनेल
02. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार सुनेल

प्रा0पत्र बाबत निरस्त किये जाने आंवटन एवं नामान्तरण अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व नियम

उपस्थितः– श्री राकेश कुमार जैन अभिभाषक अपीलान्ट
श्री बच्चूलाल अभिभाषक रेस्पोडेन्ट
पेरोकार सरकार

–: निर्णय :– दिनांक: 30.11.2021

यह अपील भू आवंटन सलाहकार समिति के आवंटन आदेश दिनांक 31.12.2010 जिसके द्वारा आवंटी मुकेश कुमार आ0 शम्भूलाल को कस्बा सुनेल की आराजी ख0न0 568 रकबा 02 बीघा आराजी का आवंटन किया गया जिस पर उक्त आराजी का नामान्तरकरण संख्या 2862 दिनांक 05.01.2011 को तस्दीक किया जाकर गैर खातेदारी में दर्ज की गई से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत की गई है। अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपने अपील मेमों में निवेदन किया गया कि प्रार्थी भूमि हीन कस्बा सुनेल का निवासी था कुछ समय पूर्व प्रार्थी के पिता की सहखातेदारी की भूमि मे से प्रार्थी को 7/150 हिस्सा प्राप्त हुआ है। आंवटित भूमि प्रार्थी की सहखातेदारी की भूमि ख0न0 444,445 से लगी हुई है जिस पर प्रार्थी उक्त भूमि पर अधिकारिता रखता है,आवंटन निरस्त होने पर यदि पुनः भूमि आवंटित की जाती है तो उसके लिए प्रार्थी भी आवंटन प्रकिया में भाग लेने का अधिकारी है। आवंटन से पूर्व कोई अधिसूचना जारी नही की गई है । आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना नही की गई है। आवंटन की शर्तो के अनुसार आंवटी को आवंटित आराजी 10 वर्ष से पूर्व गैर खातेदारी से खातेदारी में दर्ज नही की जा सकती किन्तु उक्त आराजी 3 वर्ष 06 माह में ही गैर खातेदारी से खातेदारी मे दर्ज करदी गई है। उक्त भूमि काश्त करने के लिये आंवटित हुई थी जिस पर ना तो काश्त की गई है अपितु भूखण्ड विक्रय हेतु काट दिये गये हैं। आवंटन निरस्त कर खातेदारी अधिकार बाबत तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 3297 दिनांक 19.07.2014 निरस्त किया जाये।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया व रेस्पो0 को तलब किया गया रेस्पो0 1 की और से अभिभाषक श्री बच्चू लाल का वकालतनामा पेश हुआ व उपस्थित हुए।

बहस उभय पक्ष सुनी। अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा बहस में अपील मेंमों की पुष्टी करते हुए व्यक्त किया गया कि आवंटन विधि के सिद्धान्तो 14(4)कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के सर्वथा विपरित तथा पत्रावली संग्रहसार के विपरीत होने से आवंटन निरस्त होने योग्य है। आवंटी मुकेश कुमार आ0 शम्भूलाल को कस्बा सुनेल की आराजी ख0न0 568 रकबा 02 बीघा आराजी का आवंटन किया गया जबकि प्रार्थी भूमिहिन कस्बा सुनेल का निवारी था कुछ समय पूर्व प्रार्थी के पिता की सहखातेदारी की भूमि मे से प्रार्थी को 7/150 हिस्सा प्राप्त हुआ है। आंवटित भूमि प्रार्थी की सहखातेदारी की भूमि ख0न0 444,445 से लगी हुई है जिस पर प्रार्थी उक्त भूमि पर अधिकारिता रखता है,आवंटन निरस्त होने पर यदि पुन: भूमि आवंटित की जाती है तो उसके लिए प्रार्थी भी

जिला कलक्टर
झालावाड़

आवंटन प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकारी है। आवंटन से पूर्व कोई अधिसूचना जारी नही की गई है । आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना नही की गई है। आवंटन की शर्तो के अनुसार आंवटी को आवंटित आराजी 10 वर्ष से पूर्व गैर खातेदारी से खातेदारी में दर्ज नही की जा सकती किन्तु उक्त आराजी 3 वर्ष 06 माह में ही गैर खातेदारी से खातेदारी में दर्ज करदी गई है। आवंटन निरस्त कर खातेदारी अधिकार बाबत तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 3297 दिनांक 19.07.2014 निरस्त किया जावे।

इस पर अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा व्यक्त किया कि आवंटन पूर्ण प्रकियानुसार किया गया है। अपीलान्ट द्वारा आवंटन के 11 वर्ष बाद अपील प्रस्तुत की गई है। आंवटी को आवंटन के पश्चात खातेदारी अधिकार मिल चुके है । अपने पक्ष के समर्थन में अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2018 आर आर डी स्टेट राजस्थान बनाम शंकरलाल पेज 479 के दृष्टान्त की छाया प्रति प्रस्तुत की गई। उन्होंने व्यक्त किया कि आवंटन उचित है अपील खारिज की जावे।

इस पर अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा पुनः व्यक्त किया कि प्रस्तुत रूलिंग मेंरे पक्ष में क्योंं कि आवंटी द्वारा प्रथम तीन वर्षो में आवंटित आराजी पर काश्त नही की गई है। खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने पर भी आंवटन निरस्त किये जाने के प्रावधान है। आंवटन खारिज योग्य है खारिज किया जावे।

पेरोकार सरकार ने आवंटन को नियमानुसार सही बताया ।

हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। प्रकरण के अवलोकन से यह तो स्पष्ट है कि आवंटी नारायण को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा जो आंवटन किया गया है वह नियत प्रारूप में नियमानुसार विधि द्वारा सुस्थापित प्रकिया अपनाकर किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी साबित है कि आवंटी को उक्त भूमि पर दखल दिया जाकर नियत समय अवधि पश्चात खातेदारी अधिकार दिये जा चुके हैं। अपीलार्थी यह साबित करने में विफल रहें हैं कि आंवटन किस प्रकार विधि के सिद्धान्तो के सर्वथा विपरित है। प्रकरण में आंवटी द्वारा आवंटन की शर्तों की पालना किये जाने पर ही खातेदारी अधिकार दिये गये हैं। अभिभाषक अपीलान्ट का कथन की 11 वर्षो बाद खातेदारी अधिकार मिलने के पश्चात आवंटन निरस्त करवाने हेतु प्रकरण प्रस्तुत नही किया जा सकता, हमारे विनम्र मत में आरआरटी 2008(2)1433 के दृष्टान्त इस प्रकरण पर लागू होते हैं उक्त निर्णयानुसार लंबे अंतराल पश्चात भी 14(4)के तहत कार्यवाही की जा सकती है। इसी कम में अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2018 आर आर डी स्टेट राजस्थान बनाम शंकरलाल पेज 479 के दृष्टान्त इस प्रकरण पर चस्पा होते हैं क्यों कि सन्दर्भित प्रकरण में खातेदारी अधिकार दिये जा चुके हैं। अपीलार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में ना तो दस्तावेजी साक्ष्य ही प्रस्तुत की गई है और ना ही वे यह साबित कर पाये हैं कि आवंटन किस प्रकार विधि विरूद्ध है व इस आवंटन से उनके हित किस प्रकार प्रभावित है। उपरोक्त विवेचन से अपीलार्थी द्वारा आवंटन निरस्तीकरण हेतु प्रस्तुत प्रकरण निराधार होने से अस्वीकार होने से खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ वापस लोटाई जावे । पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.11.2021 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि मोहन मीना)
जिला कलक्टर
झालावाड़